Con. 3. IX.19.49
320

अंक 9
संख्या 19

शुक्रवार
26 अगस्त
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

संविधान का मसौदा—*(जारी)*
[अनुच्छेद 296, 299 तृतीय अनुसूची पर विचार] 1063-1089

भारतीय संविधान सभा

शुक्रवार, 26 अगस्त, सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान-सभा, कॉंस्टिट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः 9 बजे, अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा—*(जारी)*

अनुच्छेद 296

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 296।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगालः मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। मसौदा-समिति के माननीय सभापति महोदय जिस संशोधन संख्या 106 को उपस्थित करने जा रहे हैं, वह एक नवीन संशोधन है। वह कई अन्य संशोधनों के समान संविधान के ही सम्बन्ध में है और किसी संशोधन के सम्बन्ध में नहीं है। इस संशोधन क सूचना पहले पहल 23 अगस्त को दी गई थी और वह 24 अगस्त को प्राप्त हुई थी। साधारणतः इस पर उसी दिन विचार हो जाना चाहिये था किन्तु समय के अभाव के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

एक माननीय सदस्य महोदय ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि इस संशोधन के फलस्वरूप कई गम्भीर परिवर्तन होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य है कि कुछ सेवा-सम्बन्धी नियम केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त हों। संविधान के मसौदे के मूल अनुच्छेद में उपबन्धित था कि वे सभी अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यह परिवर्तन किया गया है और यह परिवर्तन परोक्ष रूप से क्यों किया गया है। कोई भी सदस्य सीधे-सीधे इस प्रकार के संशोधन की सूचना दे सकता था कि मूल अनुच्छेद में "सभी समुदायों" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियों के तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लोग" शब्द रखे जायें। किन्तु यह न करके सारे खण्ड का दूसरा मसौदा तैयार किया गया है। यह अकस्मात मेरे ध्यान में आ गया। इसलिये मेरा औचित्य प्रश्न इस प्रकार है कि यह संशोधन संविधान के ही सम्बन्ध में है और इसके अतिरिक्त यह कोई ऐसा विषय नहीं है जो कभी सभा के विचारार्थ उसके समक्ष रखा गया हो। इसके अतिरिक्त इसमें स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा गया है कि इसके फलस्वरूप मूल अनुच्छेद में क्या परिवर्तन होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सभा के सामने आखिरी वक्त में ऐसे अनुच्छेदों को रखने की प्रथा का कब तक अनुसरण किया जायेगा जिनमें सारवान परिवर्तन किये गये हों और

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

वे परिवर्तन भी ऐसे कि उन्हें पहचानना ही कठिन हो। हाल में एक दिन मैंने डॉ. अम्बेडकर को स्मरण कराया था कि उन्होंने आपकी इस प्रार्थना को पूरा नहीं किया है कि मूल अनुच्छेद में और प्रस्तावित नवीन अनुच्छेद में जो अन्तर हो उसकी व्याख्या की जाये और उन्होंने केवल यह कहा कि मैंने विरामों को छोड़कर मूल अनुच्छेद को तथा नवीन अनुच्छेद को पढ़ ही लिया होगा। वे इस प्रकार का भद्दा हास्य करने के अतिरिक्त और कुछ न कह सके। क्या हम प्रतिदिन अपने नियमों को भंग करके नवीन अनुच्छेद जोड़ते चले जायेंगे? जब हम अपने ही नियमों को बराबर भंग करते चले जायेंगे तो हम लोगों से कैसे यह आशा कर सकते हैं कि वे संविधान का अनुसरण करेंगे? मेरा निवेदन है कि इसकी कोई सीमा होनी चाहिये। कुछ सर्वमान्य नियम तथा सर्वमान्य अपवाद होने चाहिये। कुछ विशेष मामलों के सम्बन्ध में मैंने आपके उन निर्णयों पर आपत्ति नहीं की जिनमें आपने कहा था कि परिवर्तन नियमानुकूल हैं। किन्तु इस प्रसंग में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि बिना सदस्यों को सूचित किये हुये कि क्या परिवर्तन किया जा रहा है जैसा कि साधारणतया किया जाना चाहिये, एक नवीन अनुच्छेद को प्रविष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। यदि आप इस संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा देते हैं तो मुझे इसकी सार्थकता के सम्बन्ध में भी कई आपत्तियां करनी हैं। किन्तु उन्हें मैं इस समय प्रस्तुत नहीं करना चाहता। हमें कम से कम कुछ सूचना दे दी जानी चाहिये थी। अल्पसंख्यकों से भी इस सम्बन्ध में परामर्श करना चाहिये था जैसा कि सरदार पटेल ने इसी के समान एक प्रसंग में दिया था। यह बहुत ही अनुचित है।

***अध्यक्ष:** यदि इसे किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित किया जाये तो क्या आपकी आपत्ति दूर हो जायेगी?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान, मैं कह नहीं सकता कि किसी अन्य तिथि को इस पर विचार करने के लिये सभा में यथेष्ट वातावरण होगा या नहीं किन्तु मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। वास्तव में मेरे विचार से उस समय भी स्थिति में अधिक सुधार न होगा। जिस ढंग से यह खण्ड उपस्थित किया जा रहा है उसपर मुझे आपत्ति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमों की दृष्टि से तथा विषय की दृष्टि से भी इस संशोधन को अस्वीकार कर देना चाहिये।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): श्रीमान, क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मेरे माननीय मित्र का औचित्य-प्रश्न बिल्कुल अनुचित है क्योंकि इस अनुच्छेद के निर्णय को सभा स्वीकार कर चुकी है। माननीय सदस्य महोदय को इस संशोधन की सूचना दो दिन पूर्व मिल चुकी थी। यदि दो दिन में वे इस संशोधन के आशय को नहीं समझ पाये हैं। तो वे उसे दो महीने में भी नहीं समझ पायेंगे।

***अध्यक्ष:** क्या इसका अर्थ यह है कि जब पिछली बार स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया गया था तो इस विषय पर भी विचार किया गया था और इसके सम्बन्ध में भी निर्णय किया गया था?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मेरा यह सुझाव है कि चूंकि मुसलमान और भारतीय इसाई अब अल्पसंख्यक नहीं समझे जायेंगे इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** जी नहीं। मेरा निवेदन है कि केवल विधान-मंडलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार किया गया था। किन्तु यह नवीन अनुच्छेद एक भिन्न विषय के सम्बन्ध में है, अर्थात् यह अल्पसंख्यकों के सचिवालयों, जिलों आदि में छोटे पद प्राप्त करने के सिलसिले में परित्राणों के सम्बन्ध में हैं। विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सरदार पटेल ने कृपा करके हमसे परामर्श किया था और हम इसके लिये सहमत हो गये थे विधान मंडलों में स्थान रक्षित न रखे जायें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** (बम्बई: जनरल): श्रीमान, स्थिति इस प्रकार है। अल्पसंख्यक समिति के प्रतिवेदन में यह उपबन्धित था कि सभी अल्पसंख्यक दो लाभों का अथवा विशेषाधिकारों का उपभोग करेंगे, अर्थात् विधान-मंडलों में और सेवाओं में उनके लिये स्थान रक्षित रखे जायेंगे। इस सभा ने जिस प्रतिवेदन को स्वीकार किया था उसके पैरा 9 में कहा गया था कि:

> "अखिल भारतीय और प्रान्तीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते समय प्रशासन की सुयोग्यता को ध्यान में रखते हुए सभी अल्पसंख्यकों के हितों को दृष्टि में रखा जायेगा।"

मूल उपबन्ध यही था और इसी को सभा ने पारित किया था। इसके पश्चात् मन्त्रणा समिति ने दो अल्पसंख्यक वर्गों की, अर्थात् मुसलमानों की और भारतीय ईसाइयों की सहमति प्राप्त करके यह निर्णय किया कि ये समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय नहीं समझे जायेंगे। जब सभा यह स्वीकार कर चुकी है कि इस प्रकार की व्यवस्था केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के अल्पसंख्यक समुदायों के लिये की जाये तो मसौदा-समिति को भी इस अनुच्छेद को सभा के निर्णय के अनुरूप बनाना पड़ा।

***अध्यक्ष:** औचित्य प्रश्न इस प्रकार है कि अल्पसंख्यक-सम्बन्धी अनुच्छेदों पर पुनर्विचार करते समय केवल स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में निर्णय किया गया था और सेवाओं के प्रश्न पर न तो विचार किया गया था और न कोई निर्णय किया गया था।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** जहां तक मैं समझता हूं निर्णय यह था कि वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। इसलिये उन्हें दो विशेषाधिकारों में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाब: सिख): श्रीमान, मेरे पास अल्पसंख्यक मंत्रणा समिति और उपसमिति के प्रतिवेदन हैं। उनमें किसी स्थल पर भी यह नहीं कहा गया है कि सभी प्रकार के परित्राण समाप्त कर दिये जायेंगे अथवा यह कि वे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं गिने जायेंगे। केवल इस निर्णय के लिये सभी सहमत हुए थे कि: "विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए परित्राण व्यवस्था समाप्त की जाये।"

[सरदार हुकम सिंह]

अल्पसंख्यक समुदाय इसी निर्णय के लिये सहमत हुये। किंतु केवल यही परित्राण नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ पढ़कर सुनाया है वह विधान-मण्डलों में स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में है। संघीय लोक सेवा आयोग जो नियुक्तियां करेगा उनके अतिरिक्त छोटे पदों के लिये नियुक्तियां करते समय अनुच्छेद 296 के अधीन सभी अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना होगा। इसलिये मेरे विचार से अल्पसंख्यक समुदायों के लोग यह समझेंगे कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है और सज्जनता के नाते जो समझौता उन्होंने किया था उसे भंग किया गया है। यदि सरदार पटेल यहां होते तो मेरे विचार से वे इसके लिये सहमत न होते क्योंकि हमने केवल विधान-मण्डलों में स्थानों के रक्षण के सम्बन्ध में समझौता किया है। इसलिये मेरे विचार से यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाना चाहिये। इससे तो मूल मसौदा ही कहीं अच्छा था। अब अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये केवल दो अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 266 और 299 रह गये हैं और उनमें भी केवल सदिच्छा ही प्रकट की गई है। वे आधारभूत अनुच्छेद नहीं हैं। वे निदेशक सिद्धान्त तक नहीं हैं और न वे न्याय ही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय केवल इससे संतोष कर सकते हैं कि कुछ मामलों में उनके हितों की रक्षा की जायेगी। यदि इस व्यवस्था को भी समाप्त किया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि सज्जनता के नाते जो समझौता किया गया था उसे भंग किया गया है।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को स्थगित करना आवश्यक हो गया है। जब इस पर विचार किया जायेगा तो सभी दृष्टिकोणों पर विचार किया जायेगा।

***एक माननीय सदस्य:** हम उनसे विचार-विनिमय करके इस प्रश्न का निर्णय इसी समय कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** अल्पसंख्यकों के मामलों के सम्बन्ध में हम हमेशा उनकी सहमति से निर्णय करते रहे हैं। जब इस प्रश्न के सम्बन्ध में मतभेद है तो अच्छा यह होगा कि आपस में विचार विमर्श करके उसे मिटाया जाये। इसी कारण मैं यह सुझाव रख रहा हूं कि इसे स्थगित किया जाये। अब हम अगले अनुच्छेद को उठायेंगे।

अनुच्छेद 299

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"अनुच्छेद 299 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाये:—

'299 (1) There shall be a Special Officer for minorities to be appointed by the President.

Special Officer for minorities

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating relating to the safeguards provided for minorities under this Constitution and to report to the President upon the working of the safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament.

अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी।

[299 (1) अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) अल्पसंख्यकों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तरावधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।]' "

मूल अनुच्छेद में यह उपबन्धित था कि केन्द्र में तथा प्रत्येक प्रान्त में एक एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी होगा। अब यह समझा जाता है कि चूंकि अल्पसंख्यक समुदायों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिये प्रत्येक प्रान्त में एक पदाधिकारी रखने के सम्बन्ध में संविधान में एक बोझल उपबन्ध रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि केन्द्र एक पदाधिकारी को नियुक्त करेगा और उसे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिये निदेश देगा तो मूल अनुच्छेद का उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

***डॉ. मनमोहन दास** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। अभी इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया गया है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय कौन होंगे। परित्राण-सम्बन्धी उपबन्धों के लिये दो मामलों के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों के समूह बनाये गये हैं—एक विधान-मण्डलों में स्थानों के रक्षण के परित्राण के सम्बन्ध में और एक सेवाओं में पदों के रक्षण के परित्राण के सम्बन्ध में। अभी इसका निर्णय नहीं किया गया है कि ये अल्पसंख्यक कौन होंगे।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से इस अनुच्छेद का इन विषयों से कोई सम्बन्ध न होगा। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय जो भी होंगे, विशेष पदाधिकारी उन सबके लिये कार्य करेगा। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय दो हों या दो से अधिक, जो पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा वह सबके लिये कार्य करेगा।

***सरदार हुकम सिंह:** यदि अनुच्छेद 296 उसी रूप में रहने दिया गया जिस रूप में वह मसौदे में है, तो अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये कोई परित्राण न रह जायेगा। इस दशा में हम कुछ रुक क्यों न जायें और इस अनुच्छेद को उस अनुच्छेद के साथ क्यों न उठायें जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों आदि के सम्बन्ध में है?

***अध्यक्ष:** इसमें किन्हीं विशेष अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख नहीं है। इसमें केवल "अल्पसंख्यक" शब्द ही प्रयुक्त है। इसमें इसी अल्पसंख्यक समुदाय आ जायेंगे।

***सरदार हुकम सिंह:** किन्तु यदि अनुच्छेद 296 अपने वर्त्तमान रूप में रहा और किन्हीं अन्य अनुसूचित जातियों और आदिम-जातियों को अल्पसंख्यक समुदायों के वर्ग में सम्मिलित करने का निश्चय किया गया तो उनके लिये अन्य कोई परित्राण न रह जायेगा। यहां अनुच्छेद 299 में "अल्पसंख्यक" शब्द का प्रयोग ही क्यों किया जाये? यह भ्रामक है और इससे यह अर्थ निकलता है कि अन्य कोई परित्राण नहीं है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** कई अल्पसंख्यक जातियां, आदिम-जातियां आदि हैं। इसमें सभी अल्पसंख्यक आ जाते हैं।

***अध्यक्ष:** जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है इसमें सभी अल्पसंख्यक आ जाते हैं, चाहे उनका उल्लेख अनुच्छेद 296 में हो या न हो। इसलिये इसे उठाने में कोई कठिनाई नहीं है। इस अनुच्छेद में किन्हीं विशेष अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख नहीं है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** यदि नवीन अनुच्छेद 296, पारित हो जाता है तो यह अनुच्छेद निरर्थक हो जायेगा।

***अध्यक्ष:** वह निरर्थक नहीं होगा क्योंकि उसके अधीन दो से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय आ जाते हैं। आंग्ल-भारतीयों के लिये भी वही उपबन्ध है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** किन्तु जो परित्राण उपबन्धित किये गये हैं उन्हें इस अनुच्छेद में स्थान नहीं दिया गया है।

***अध्यक्ष:** अल्पसंख्यकों के लिये जो भी परित्राण उपबन्धित किये गये हैं और चाहे जो कोई समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, उन सभी के सम्बन्ध में यह विशेष पदाधिकारी कार्य करेगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** किन्तु अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये कोई परित्राण न होंगे। इसलिये यह अनुच्छेद उनके सम्बन्ध में प्रयुक्त न होगा।

***अध्यक्ष:** मैं अनुच्छेद 296 को पुनर्विचार के लिये स्थगित कर रहा हूं। आप यह मान कर आगे बढ़ सकते हैं कि इसका सम्बन्ध केवल दो अल्पसंख्यक समुदायों से है। हमने अभी इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया है कि यह प्रस्तावित रूप में रहने दिया जाये या नहीं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास: जनरल): इसे भी स्थगित रखने की अनुमति क्यों न दी जाये?

***अध्यक्ष:** जी नहीं। यदि यह पारित हो जाता है तो इससे कुछ अन्तर न पड़ेगा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** "अल्पसंख्यक" शब्द इतना व्यापक है कि वह भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों और धर्म, जाति आदि पर आधृत अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त हो सकता है। जब हम यह जानते हैं कि विशेष पदाधिकारी दो या तीन अल्पसंख्यक समुदायों ही के सम्बन्ध में नियुक्त किया जाने वाला है तो हम आंग्ल-भारतीयों, अनुसूचित जातियों आदि का उल्लेख ही क्यों न कर दें? संविधान के मसौदे में कहीं भी "अल्पसंख्यक" शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। इसलिये इस स्थल पर हमें अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख कर देना चाहिये। मसौदा-समिति के सामने मैं यह सुझाव रखता हूं। हम यह कह सकते हैं कि इस स्थल पर आंग्ल-भारतीयों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के तीन अल्पसंख्यक वर्गों के लिये उपबन्ध रखे जा रहे हैं। अन्य अल्पसंख्यक समदुाय भी हैं। हमें इसका निर्वचन न्यायालयों के लिये न छोड़ देना चाहिये। हमें इसी स्थल पर निश्चित कर देना चाहिये कि कौन से अल्पसंख्यक समुदाय अभिप्रेत हैं। अन्यथा कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय आगे बढ़कर एक न एक अधिकार की मांग कर सकता है।

***अध्यक्ष:** परित्राणों का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है और जिन अल्संख्यक समुदायों को भी ये प्राप्त होंगे उनकी रक्षा यह विशेष पदाधिकारी करेगा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** किसी स्थल पर भी यह नहीं कहा गया था। किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग में नहीं रखा गया है। "अल्पसंख्यक समुदाय" की कोई परिभाषा नहीं की गई है। यदि एक अल्पसंख्यक समुदाय हो तो हम कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद अमुक अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में प्रयुक्त होगा। हमने "अल्पसंख्यक" शब्द का तो प्रयोग किया है किन्तु यह नहीं कहा है कि उससे कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय अभिप्रेत है। हो सकता है कि हमारा विचार यह हो कि सामान्यत: सभी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यह पदाधिकारी होगा किन्तु यह संविधान भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसलिये हमें इस मामले को स्पष्ट कर देना चाहिये और केवल उन्हीं अल्पसंख्यक समुदायों को सम्मिलित करना चाहिये जिनके लिए हम उपबन्ध रखना चाहते हैं।

***अध्यक्ष:** मेरा अपना यह विचार था कि इसे स्थगित करना आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि सदस्यों का यह विचार है कि अनुच्छेद 296 और 299 साथ उठाये जायें, ताकि उनमें अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख हो सके, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** आप जो भी निर्णय करना चाहें करें किन्तु मेरे विचार से आपने आरम्भ में जो निर्णय किया था वह ठीक था।

***अध्यक्ष:** किन्तु यदि सभा इस अनुच्छेद पर विचार-विमर्श करना स्थगित चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने यह विचार किया था कि अनुच्छेद 296 के सम्बन्ध में हम जो निर्णय करेंगे उस पर बिना कोई प्रभाव डाले हुए हम इस अनुच्छेद को पारित कर सकते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मुझे आशा है कि सभा इसी मार्ग को अपनायेगी। यही उपयुक्त मार्ग है अन्यथा हमारे सामने बहुत कम कार्य रह जायेगा।

***अध्यक्ष:** श्री अनन्तशयनम् आयंगर का भिन्न विचार है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इस दशा में इमें इस अनुच्छेद पर विचार करना चाहिए।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अच्छा यह होगा कि हम अनुच्छेद 299 को उठायें। उससे कोई कठिनाई नहीं पैदा होती। यदि आगे चलकर हम यह निर्णय करें कि अनुच्छेद 296 में जिन अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख है उनके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी है, तो वे अनुच्छेद 299 के अन्तर्गत आ जायेंगे।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): मैं आपके आशय को इस प्रकार समझा कि हम अनुच्छेद 299 पर विचार करें, क्योंकि उसके सम्बन्ध में हम जो निर्णय करेंगे उसका उस निर्णय पर कोई प्रभाव न पड़ेगा जो हम अनुच्छेद 296 के सम्बन्ध में करेंगे। किन्तु अनुच्छेद 296 के सम्बन्ध में हम जो निर्णय करेंगे उसका अनुच्छेद 299 सम्बन्धी निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा। ये दो अनुच्छेद परस्पर सम्बन्धित हैं। मेरी समझ में नही आता कि उन दो अनुच्छेदों को अलग अलग उठाकर इन पर कैसे विचार किया जा सकता है। इन दोनों अनुच्छेदों में "अल्पसंख्यक समुदाय" शब्द प्रयुक्त हैं। यदि तर्क यह है कि सेवाओं के सम्बन्ध में आंग्ल-भारतीय समुदाय को दस वर्ष तक अल्पसंख्यक समुदाय समझा जा रहा है और इसलिए अनुच्देद 299 में "अल्पसंख्यक समुदाय" शब्दों को प्रयोग में लाना उपयुक्त ही है तो यही तर्क अनुच्छेद 296 के सम्बन्ध में भी उपस्थित किया जा सकता है। इसलिए यह और भी आवश्यक है कि यह अनुच्छेद स्थगित रखा जाये। चूंकि आपने यह निर्णय किया है कि अनुच्छेद 296 पर विचार-विमर्श स्थगित रखा जाये इसलिए तर्क संगत यही होगा कि अनुच्छेद 299 पर भी विचार विमर्श स्थगित रखा जाये।

***अध्यक्ष:** पंडित कुंजरू, क्या मैं यह बता सकता हूं कि अनुच्छेद 296 में दो विशेष अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख है। इसलिए वह अनुच्छेद केवल उन दो अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बन्ध में है, किन्तु अनुच्छेद 299 में किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख नहीं है। उसमें "अल्पसंख्यक" शब्द सामान्य अर्थ में प्रयुक्त है और चाहे जो भी अल्पसंख्यक होंगे वे अनुच्छेद 299 के अन्तर्गत आ जायेंगे। केवल यह प्रश्न रह जाता है कि कौन से समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय समझे जायेंगे। इसका अनुच्छेद 296 में उल्लेख है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** क्या यह मान लिया गया है कि अनुच्छेद 296 के सम्बन्ध में हम जो निर्णय करेंगे उसके प्रकाश में यदि हम अनुच्छेद 299 विषयक किसी निर्णय को बदलना चाहें तो अनुच्छेद 299 पर पुनविचार करने की आशा की जायेगी?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** इसकी कोई भी सम्भावना नहीं है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी कहते हैं कि इसकी कोई सम्भावना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस अनुच्छेद पर इस समय विचार होने की सम्भावना है।

***अध्यक्ष:** यदि उस पर पुनर्विचार करना ही है तो उस पर आज बिल्कुल विचार न किया जाये। उस पर दो बार विचार करने से एक ही बार विचार करना अच्छा होगा। अनुच्छेद 299 स्थगित किया जाता है। अब हम अगले अनुच्छेद को अर्थात् अनुच्छेद 302 को उठाते हैं। उसके सम्बन्ध में कुछ संशोधनों की सूचना दी गई है। ये छपे हुए संशोधनों के दूसरे अंक में दिए हुए हैं।

मुझे यह बताया गया है कि अनुच्छेद 302 के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाई है। डॉ. अम्बेडकर ने मुझे अभी बताया है कि इस अनुच्छेद के एक उपबन्ध पर विचार करना है। वह चाहते हैं कि यह अनुच्छेद स्थगित रखा जाय। इस दशा में केवल अनुसूची 3 रह जाती है। क्या अनुसूची 3 के सम्बन्ध में भी कोई आपत्ति है?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** जी नहीं श्रीमान, कोई आपत्ति नहीं है।

तृतीय अनुसूची

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में 'Solemnly affirm (or swear)' [सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (अथवा शपथ लेता हूं)]' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:–

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि:

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 2 में 'Solemnly affirm (or swear) [सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (अथवा शपथ लेता हूं,) शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:–

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 3 में—

(क) 'declaration (घोषणा)' शब्द के स्थान पर 'affirmation or oath' (प्रतिज्ञान अथवा शपथ)' शब्द रखे जायें।

[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

(ख) 'solemnly and sincerely promise and declare' (सत्य निष्ठा और सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं)' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख जायें:

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 4 में—

(क) 'declaration (घोषणा)' शब्द के स्थान पर 'affirmation or oath' (प्रतिज्ञान अथवा शपथ)' शब्द रखे जायें।

(ख) 'solemnly and sincerely promise and declare' (सत्य निष्ठा और सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं)' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख जायें:

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 5 में—

(क) 'for the time being specified in Part I of the First Schedule (प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित)' शब्दों और अंक को निकाल दिया जाये।

(ख) 'solemnly affirm (or swear)' [सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (अथवा शपथ लेता हूं)]' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 6 में,—

(क) 'for the time being specified in Part I of the First Schedule (प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित)' शब्दों और अंक को निकाल दिया जाये।

(ख) 'solemnly affirm (or swear)' [सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (अथवा शपथ लेता हूं)]' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 7 में,—

(क) 'declaration (घोषणा)' शब्द के स्थान पर 'affirmation or oath' (प्रतिज्ञान अथवा शपथ)' शब्द रखे जायें

(ख) 'for the time being specified in Part I of the First Schedule (प्रथम अनुसूची के भाग 1 में इस समय उल्लिखित)' शब्दों और अंक को निकाल दिया जाये।

(ग) 'solemnly and sincerely promise and declare' (सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं)' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें:

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 8 में,—

(क) 'declaration (घोषणा)' शब्द के स्थान पर 'affirmation or oath' (प्रतिज्ञान अथवा शपथ)' शब्द रखे जायें।

(ख) 'solemnly and sincerely promise and declare' (सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं)' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें:

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' "

श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि:

"तृतीय अनुसूची में 'Forms of declarations (घोषणाओं के प्रपत्र)' शीर्षक स्थान पर 'Forms of affirmations or oaths (प्रतिज्ञानों अथवा शपथों के प्रपत्र)' शीर्षक रखा जाये।"

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि शीर्षक को बदलने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** तब शीर्षक बदल दिया जाता है।

अब हम प्रथम भाग को उठाते हैं। उसके सम्बन्ध में कई संशोधन हैं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर ने अभी अभी सभा के समक्ष संविधान की तृतीय अनुसूची में निर्धारित

[श्री एच.वी. कामत]

प्रतिज्ञान अथवा शपथ का परिवर्तित प्रपत्र रखा है। मैं यह देखता हूं कि उनके विभिन्न संशोधनों में यह निर्धारित किया गया है कि.....

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान, क्या हम प्रपत्र 1 पर विचार कर रहे हैं अथवा शीर्षक पर विचार कर रहे हैं?

***अध्यक्षः** शीर्षक को हम पारित कर चुके हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** प्रपत्र 1 के सम्बन्ध में मैंने कुछ संशोधन उपस्थित करने हैं।

***अध्यक्षः** श्री कामत जब समाप्त कर चुकेंगे तब आप उन्हें उपस्थित कर सकते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर ने इस नवीन अनुसूची में जिस शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र को रखने का प्रस्ताव किया है वह उस प्रपत्र से भिन्न है जिसे यह सभा राष्ट्रपति और राज्यपालों के सम्बन्ध में पारित कर चुकी है। मैं सभा का ध्यान अनुच्छेद 49 की ओर तथा तत्स्थानी अनुच्छेद 136 की ओर आकृष्ट करता हूं, जिनमें राज्यों के राज्यपालों के लिये शपथ अथवा प्रतिज्ञान निर्धारित किया गया है। मैं उन अनुच्छेदों की प्रतिलिपि की ओर ध्यान दिलाता हूं जिन्हें सभा स्वीकार कर चुकी थी। यह प्रतिलिपि सभा के सभी सदस्यों को दी गई थी। अनुच्छेद 49 को देखने से मेरे माननीय सहकारी यह पता लगा सकते हैं कि सभा ने शपथ और प्रतिज्ञान को जिस रूप में स्वीकार किया था उसे डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन में उलट दिया है। अनुच्छेद 49 में वह इस रूप में हैं:

"मैं, अमुक, $\frac{\text{ईश्वर की शपथ लेता हूं}}{\text{सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं}}$"

मुझे स्मरण है—और मुझे आशा है कि मेरी स्मरणशक्ति क्षीण नहीं हो गई है—कि जब श्री महावीर त्यागी ने कुछ मास पूर्व मेरे मूल संशोधन के सम्बन्ध में इस आशय का संशोधन उपस्थित किया था तो उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया था कि जहां तक शपथ का सम्बन्ध है उसे रेखा के ऊपर होना चाहिये क्योंकि उसका महत्व अधिक है और प्रतिज्ञान का उल्लेख रेखा के नीचे होना चाहिये। सभा ने उनके इस संशोधन को स्वीकार कर लिया था। प्रतिज्ञान अथवा शपथ का यह अन्तिम प्रपत्र हमें दी हुई पुस्तिका में उल्लखित अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। मुझे विश्वास है कि जब श्री त्यागी इस सभा में आज भाषण देंगे तो वे मेरे इस कथन का समर्थन करेंगे। मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता हुई है कि श्री जसपतराय कपूर ने भी मेरे ही संशोधन के समान एक संशोधन की सूचना दी है, अर्थात् उनके संशोधन का भी आशय यह है कि सभा ने शपथ को जिस रूप में स्वीकार किया था उसी रूप में उसे रखा जाये। डॉ. अम्बेडकर ने उसे उलट दिया है किन्तु मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि शपथ और प्रतिज्ञान उसी रूप में रखा जाये जिस रूप

में उसे सभा ने स्वीकार किया था। डॉ. अम्बेडकर यह तर्क उपस्थित कर सकते हैं कि कठिनाई यह है कि आज उन्होंने जो पहला संशोधन उपस्थित किया है उसकी भाषा इस प्रकार है:

"प्रतिज्ञान अथवा शपथों के प्रपत्र" अर्थात् प्रतिज्ञान शब्द पहले आया है और शपथ शब्द बाद को आया है। इसलिये इस शब्दावली के अनुसार प्रतिज्ञान का उल्लेख रेखा के ऊपर होना चाहिये और शपथ रेखा के नीचे लिखी जानी चाहिये। मैं कह नहीं सकता कि डॉ. अम्बेडकर इस तर्क को उपस्थित करेंगे या नहीं किन्तु यदि वे इस तर्क को उपस्थित करें तो कम से कम मैं यह कहूंगा कि शीर्षक इस प्रकार रखा जा सकता है: "शपथों अथवा प्रतिज्ञानों के प्रपत्र।" इससे शपथ उसी रूप में रखी जा सकेगी जिस रूप में सभा ने उसे स्वीकार किया है, अर्थात् शपथ रेखा के ऊपर रखी जा सकेगी और प्रतिज्ञान रेखा के नीचे रखा जा सकेगा। मुझे विशेष प्रपत्रों का ही हठ नहीं है किन्तु मेरे विचार से जहां तक सभा का सम्बन्ध है उसे उस प्रपत्र में परिवर्तन न करना चाहिये जिसे वह बहुत पहले अर्थात् पिछले दिसम्बर के मास में स्वीकार कर चुकी है। मेरे विचार से सभा शपथ के जिस प्रपत्र को स्वीकार कर चुकी है उसे हमें बिना किसी कारण न तो बदलना चाहिये और न उलटना चाहिये। श्रीमान मैं पांचवें सप्ताह की सूची 2 के अपने संशोधन संख्या 103 को उपस्थित करता हूं और सभा से यह सिफारिश करता हूं कि उस गम्भीरता से विचार किया जाये। वह इस प्रकार है:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 से 63 तक में तृतीय अनुसूची में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र में,—

'Solemnly affirm' (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)

'Swear in the name of God' (ईश्वर की शपथ लेता हूं),

(प्रस्तावित) शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें:—

Swear in the name of God (ईश्वर की शपथ लेता हूं)

Solemnly affirm (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)' "

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 110, जो श्री जसपत राय कपूर के नाम से है, श्री कामत के संशोधन के समान ही है इसलिये उसका प्रश्न ही नहीं उठता।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): जी हां, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 112 भी श्री जसपत राय कपूर के नाम से है।

***श्री जसपतराय कपूर:** यदि श्री कामत का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

***सरदार भूपेन्द्र सिंह मान** (पूर्वी पंजाब: सिख): श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

> 'संशोधनों पर संशोधनों की सूची (1) (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्वा 56 से 63 तक में, तृतीय अनुसूची में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र में से (प्रस्तावित शब्दों में से) 'Swear in the name of God (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' शब्द निकाल दिये जायें।

इस संशोधन को उपस्थित करने में मेरा उद्देश्य यह है कि शपथ लेने में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाना चाहिये। सभा के समक्ष ईश्वर का नाम हटा देने का प्रस्ताव रखकर मैं ईश्वरत्व का विरोध नहीं कर रहा हूं। धार्मिक तथा नैतिक दृष्टि से तथा संविधान के महत्व को दृष्टि में रखकर भी मैं शपथ से ईश्वर का नाम हटा देने के लिये सभा से अनुरोध कर रहा हूं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम प्राय: यह शपथ लेते थे "ईश्वर की शपथ, यह सच है", "ईश्वर की शपथ, मैं यह करूंगा", "ईश्वर की शपथ, मैं यह नहीं करूंगा", "ईश्वर की शपथ, यह गलत है" इत्यादि, और हमारे अध्यापक तथा बड़े बूढ़े हमसे हमेशा कहते थे कि शपथ लेने की आदत अच्छी आदत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि उस समय जो आदतें बुरी आदतें समझी जाती थीं वे अब हमारे बड़े होने पर अच्छी आदतें कैसे समझी जाने लगी हैं। अन्य प्रकार की शपथ लेना अच्छा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से उसके घोषणा करने, अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करने पर भी ईश्वर की शपथ लेने को कहा जाये तो वह कहेगा "मैं सच कहूंगा। आपको मेरा विश्वास करना चाहिये। इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं ईश्वर की शपथ लूं।" मेरे विचार से किसी व्यक्ति से ईश्वर की शपथ लेने को कहना उसका अपमान करना है। श्रीमान, मेरा यह भी विचार है कि शपथ में ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर का निरादर करना है। इसके अतिरिक्त मैं यह कह सकता हूं कि किसी व्यक्ति से ईश्वर की शपथ लेने को कहना उसका अविश्वास करना है।

मैं कह नहीं सकता कि ऐसे महत्वपूर्ण विपत्र के सम्बन्ध में मसौदा-समिति तथा उसके सभापति ने ईश्वर की इच्छा जानने का प्रयास किया है या नहीं। मुझे इस सभा की सर्वसत्ता पर कोई सन्देह नहीं है किन्तु श्रीमान, आपकी सर्वसत्ता की सीमा इतनी विस्तृत नहीं है कि वह ईश्वर के लिये भी बन्धक हो। सम्भव है वह इसके लिये सहमत न हो। बिना उसकी इच्छा को जाने हुए हम कई स्थानों पर ईश्वर के नाम को रख रहे हैं। श्री कामत के संशोधन के अधीन संविधान के खण्डों में कुछ स्थलों पर हम ईश्वर का नाम रख चुके हैं। हम शपथ के लिये भी ईश्वर के नाम को रख रहे हैं। कल आप उसके नाम को प्रस्तावना में भी स्थान देने जा रहे हैं। मुझे सन्देह है कि ईश्वर उसे पसंद करेगा या नहीं। आपके लिये यह उत्कृष्ट संविधान हो सकता है किन्तु सम्भव है कि ईश्वर इसे पसंद न करे। सम्भव है वह इस संविधान में अपना नाम रखवाना ही न चाहे। सम्भव है कि वह साम्यवादी ईश्वर हो अथवा प्रबल समाजवादी प्रवृत्ति का हो। मैं सदस्यों से तथा डॉ. अम्बेडकर से कहता हूं कि यदि बिना उसकी इच्छा जाने

हुए आप उसका नाम रख देते हैं और कल वह यह विचार करता है कि वह इस संविधान से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा तो इस संविधान का क्या होगा? मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उसके नाम का संविधान में विभिन्न प्रकार से उल्लेख करने तथा उसका संविधान से नाता जोड़ने के पूर्व आप यह जान लें कि उसकी क्या इच्छा है। यदि डॉ. अम्बेडकर की ईश्वर तक पहुंच न हो तो, श्रीमान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके उसकी इच्छा का पता लगायें और सभा को यह सूचित करें कि वह इसके लिये सहमत है। आखिर शपथ का सम्बन्ध दो पक्षों से होता है—एक वह जो शपथ लेता है और दूसरा वह जिसकी शपथ ली जाती है। वास्तव में मेरा यह निवेदन है कि यह एक औचित्य प्रश्न है कि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख संविधान में होना चाहिये या नहीं, जो सभा का सदस्य न हो और जिसकी सहमति भी प्राप्त न की गई हो। इस का बहुत संविधानिक महत्व है। कल यदि वह सहमत न हो और आपके संविधान से नाता तोड़ दे तो सारा परिश्रम निष्फल चला जायेगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में, 'Solemnly (सत्य निष्ठा से)' शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्द रखे जायें।"

मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में, 'all manner of people (सब प्रकार के लोगों)' के स्थान में 'all people (सब लोगों)' शब्द रखे जायें।"

मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में, 'favour (पक्षपात)' शब्द के पश्चात् अर्धविराम तथा 'affection (अनुराग)' शब्द निकाल दिया जाये।"

मेरे पहले संशोधन के फलस्वरूप एक बहुत महत्वपूर्ण संविधानिक प्रश्न उठता है और वह यह है कि क्या मंत्रियों को सदस्यों की हैसियत से नहीं बल्कि मंत्रियों की हैसियत से, एच्चे हृदय से काम करना चाहिये या नहीं। सभा कृपा करके यह देखें कि घोषणाओं के आठ प्रपत्र हैं। संघ के मंत्रियों के सम्बन्ध में दो पत्र हैं। प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। पहली शपथ पद-शपथ है और दूसरी शपथ गोपनीयता शपथ है। इसके अतिरिक्त राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में भी दो प्रपत्र हैं, अर्थात् प्रपत्र 5 और प्रपत्र 6, जिनमें से एक पद-शपथ के सम्बन्ध में और दूसरा

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

गोपनीयता-शपथ के सम्बन्ध में है। इन सभी दशाओं में मंत्रियों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये "सत्यनिष्ठा" से शपथ लेनी है अथवा प्रतिज्ञान करना है और यह आवश्यक नहीं है कि वह यह बच्चे हृदय से कर। यह विचार किया जा सकता है कि "सच्चे हृदय से" शब्दों को निकाल देने से वर्तमान प्रथा में कोई अन्तर नहीं आयेगा। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि संसद के सदस्यों तथा न्यायाधीशों के लिये जो शपथों के प्रपत्र रखे गये हैं। उन पर विचार किया जाये। संसद के सदस्यों को जो घोषणा करनी होगी वह प्रपत्र 3 में दी गई है। उन्हें "सत्यनिष्ठा से तथा सच्चे हृदय से" घोषणा करनी है। न्यायाधीशों ने जो प्रतिज्ञान करना है वह प्रपत्र 4 उल्लिखित है। उन्होंने भी यह घोषणा करनी कि वे अपने कर्तव्य का पालन "सत्यनिष्ठा तथा सच्चे हृदय से" करेंगे। इसके अतिरिक्त उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रपत्र 8 के अधीन यह घोषणा करनी है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन "सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय से" करेंगे। शब्दावलियों को बहुत समझ बुझ कर चुना गया है। एक शब्दावली संसद के सदस्यों तथा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों और संघ न्यायालय तथा उच्च-न्यायालय के सदस्यों के लिये है, जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन "सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय" से करना है किन्तु संघ के तथा राज्य के मंत्रियों पर यह शब्दावली लागू नहीं होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रियों के सम्बन्ध में ये शब्द जान बूझ कर नहीं रहने दिये गये हैं। अथवा अनजाने। संसद के तथा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों और न्यायाधीशों के सम्बन्ध में जिस सावधानी से "सच्चे हृदय से" शब्दों को रखा गया है उससे ज्ञात होता है कि अन्य स्थलों से ये शब्द जान बूझकर निकाल दिये गये हैं। मैं इस सभा के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार यह है कि जब तक वे विधान-मंडल के सदस्य बने रहेंगे तब तक वे अपने कर्तव्यों का पालन सत्यनिष्ठा से तथा "सच्चे सदस्य से" करेंगे किन्तु जैसे ही वे मंत्रिमंडल की गद्दियों पर आरूढ़ होंगे, उनको "सच्चे हृदय से" काम करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। क्या विचार यही है? यदि बात यही है तो यह आधुनिक विचार-धारा के अनुरूप ही है। वास्तव में मंत्रियों को सच्चे हृदय से काम करने की आवश्यकता है। उन्हें तो कपटी होने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं कि कुछ व्यक्तियों का कपट भी सद्गुण समझा जाता है। राधा ने श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते हुए कहा था:

"निपट कपट तुम श्याम"

श्याम तुम कपटी हो। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या हम भी अपने मंत्रियों को 'निपट कपट तुम श्याम' कह कर संबोधित करेंगे और यह कहेंगे "आप हमारे प्रभु हैं किन्तु निपट कपटी हैं?" यह शपथ इसी प्रकार की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या "सच्चे हृदय से काम करना" शब्दावली स्वतन्त्र भारत के किसी मंत्री के सम्बन्ध में प्रयोग में नहीं आ सकती? मैं जानता हूं कि मंत्रियों को राजनयिक होना चाहिये, चतुर होना चाहिए, किन्तु मैं यह नहीं जानता था कि चूंकि उन्हें

राजनयिक होना चाहिये इसलिये उन्हें सच्चे हृदय से काम करने की आवश्यकता नहीं। संशोधन संख्या 119 के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है।

दूसरा संशोधन केवल मसौदे के सम्बन्ध में है। प्रपत्र 1 में कहा गया है, "मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा"। मेरे विचार से 'आल मैनर ऑफ पीपुल' अच्छी अंग्रेज़ी नहीं है। 'आल पीपुल' पदावली उपयुक्त पदावली है। मेरी समझ में नहीं आता कि 'आल मैनर ऑफ पीपुल' पदावली का क्या अर्थ है। इसलिये यह संशोधन मसौदे के सम्बन्ध में है। मेरे विचार से इसे स्वीकार करने में सभा को कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

मेरा तीसरा संशोधन 'अनुराग अथवा द्वेष' शब्दों के सम्बन्ध में है, जो प्रपत्र के अन्त में प्रयुक्त है। उसमें कहा गया है कि संघ के मंत्री को लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन "बिना भय या पक्षपात" के करना चाहिये। यह उपयुक्त शब्द है। "बिना भय या पक्षपात" पदावली उपयुक्त पदावली है क्योंकि किसी भी मंत्री को लोगों के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वहन बिना भय या पक्षपात के करना चाहिये। किन्तु क्या उसे अपने कर्त्तव्य का पालन बिना लोगों के प्रति "अनुराग" रखे हुए करना चाहिये? क्या उसे लोगों के प्रति प्रेम अथवा अनुराग न होना चाहिये? किन्तु प्रतिज्ञान की शब्दावली इस प्रकार है कि किसी भी मंत्री को बिना लोगों के प्रति अनुराग अथवा द्वेष रखे हुए कार्य करना चाहिये। "बिना अनुराग के" शब्द दोषपूर्ण है। उसे लोगों के प्रति कुछ प्रेम और अनुराग होना चाहिये। हम देखते हैं कि आजकल मंत्री लोगों से दूर हटते जा रहे हैं। उन्हें लोगों के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना चाहिये किन्तु बात यह नहीं है। वे ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जिसमें उन्हें लोगों के प्रति द्वेष रखना होता है। प्रातों में और केन्द्र में हमें यह दिखाई देता है कि लोगों के प्रति द्वेष रखा जाता है। यदि मंत्री यह शपथ लेंगे कि मैं "आपके प्रति बिना अनुराग के व्यवहार करूंगा" तो लोग भी यह कहेंगे कि "हम भी आपके प्रति बिना अनुराग के व्यवहार करेंगे"। इस प्रकार पारस्परिक द्वेष तथा अनुराग शून्यता का ही परिचय मिलेगा। मेरा निवेदन है कि "सच्चे हृदय से" और "अनुराग से" शब्दों को रखने के सम्बन्ध में जो मेरा प्रथम संशोधन है वह स्वीकार कर लिया जाये। यदि विभिन्न पदावलियों में जानबूझ कर विभेद नहीं किया गया है और उनके अर्थ में जानबूझ कर अन्तर नहीं रखा गया है तो मेरे विचार से "और सच्चे हृदय से" शब्दों को प्रविष्ट करना चाहिये और "बिना अनुराग" शब्दों को निकाल देना चाहिये।

***अध्यक्ष:** ये संशोधन सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध में हैं। कुछ संशोधन कुछ विशेष प्रपत्रों के सम्बन्ध में है। मैं उन्हें बाद को उठाऊंगा। डॉ. अम्बेडकर, छपी हुई सूची में अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन आपके नाम से हैं। क्या कोई सदस्य महोदय किसी अन्य संशोधन को उपस्थित करना चाहते हैं? अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में, यह मेरे ध्यान में है कि दो संशोधन, अर्थात् संशोधन संख्या 123 और 128 हैं। किन्तु उनका स्वरूप भिन्न है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** मेरे विचार से हम अपने भाषणों को प्रस्तुत प्रपत्र तक ही सीमित रखें। इस प्रकार अधिक संशोधन उपस्थित नहीं किये जा सकेंगे। इस अवसर पर मैं संशोधन संख्या 123 और संशोधन संख्या 128 को उपस्थित नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** यदि डॉ. अम्बेडकर संशोधन संख्यचा 3401 उपस्थित करें तो यह अनावश्यक हो जायेंगे। आप इस पर विचार करें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्रों के प्रपत्र 6 में से 'or as may be specially permitted by the Governor in the case of any matter pertaining to the functions to be exerised by him in his discretion.'

(अथवा राज्यपाल स्वविवेक से प्रयोक्तव्य कृत्यों से सम्बद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष अनुमति दे)' शब्द निकाल दिये जायें।"

ये शब्द अनावश्यक हैं क्योंकि हम राज्यपालों को स्वविवेक से कृत्य करने के लिये सक्षम नहीं बनाना चाहते।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं. डॉ. अम्बेडकर को यह स्मरण करा सकता हूं कि अभी अनुच्देद 143 को संशोधित नहीं किया गया है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जी हां, मुझे स्मरण है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं किः

"संशोधनों पर संशेधनों की सूची (1) (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 57 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 2 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायेः

'or as may be specially permitted by the President in the case of any matter pertaining to the functions to be exercised by him in his discretion.

(अथवा राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रयोक्तव्य कृत्यों से सम्बद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष अनुमति दे)' "

***अध्यक्षः** हमने सभी प्रकार के स्वविवेक को समाप्त कर दिया है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** प्रपत्र के अन्त में जो शब्दावली प्रयुक्त है उसी से कठिनाई उत्पन्न होती है।

***अध्यक्षः** इसी कारण डॉ. अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि ये शब्द निकाल दिये जायें।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इस दशा में इस संशोधन की आवश्यकता न होगी। मेरा संशोधन संख्या 129 भी इसी के समान है और इसलिये मैं इसे उपस्थित नहीं कर रहा हूं। श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 60 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रश्न 5 में 'solemnly (सत्यनिष्ठा से)' शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्दों को प्रविष्ट किया जाये।"

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 60 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 5 में 'all manner of people (सब प्रकार के लोगों)' शब्दों के स्थान पर 'all people (सब लोगों)' शब्द रखे जायें।"

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 60 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 5 में 'favour (पक्षपात)' शब्दों के पश्चात् अर्धविराम तथा 'affection (अनुराग)' शब्द निकाल दिया जाये।"

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 61 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 6 में, 'solemnly (सत्यनिष्ठा से) शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, सरकार भूपेन्द्र सिंह मान ने अपने भाषण में जिन भावनाओं को व्यक्त किया है उनका समर्थन करने के लिये मैं अपनी जगह से उठा हूं। मैं तृतीय अनुसूची में बलात् ईश्वर का नाम रखने के विरोध में हूं। मैं इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं कि वे लोग भी जो ईश्वर की शपथ लेते हैं संसार में सब कार्य ईश्वर के नाम से नहीं करते। किसी व्यक्ति से, चाहे वह कितना ही धर्मनिष्ठ क्यों न हो, यह कहने की क्या आवश्यकता है कि उसे अमुक कार्य अथवा अमुक कार्य का आरम्भ ईश्वर का नाम लेकर करना चाहिये। हो सकता है कि मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूं किन्तु क्या मैं प्रत्येक कार्य ईश्वर का नाम लेकर करता हूं? जब मैं प्रात:काल अपना मुंह धोता हूं तो क्या मैं ईश्वर का नाम लेकर मुंह धोता हूं? हम इस सभा में एक ऐहिक कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल को, मंत्री को, अथवा राष्ट्रपति को कुछ कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय संविधान के उपबन्धों को ध्यान में रखना होगा। अपनी नियुक्ति के समय उनसे ईश्वर की शपथ लेने को कहना निरर्थक है।

इसके अतिरिक्त मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी भ्रम नहीं है कि सब धर्मों का लोप ही ऐहिकता है। चाहे राजनीतिज्ञ समय को देखते हुए कुछ भी कहें किन्तु इस सम्बन्ध में मुझे कुछ भी भ्रम नहीं है कि धर्म का विचार और ऐहिकता का विचार परस्पर विरोधी विचार है। किसी स्थल पर भी इन विचारों का समन्वय नहीं होता।

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

साथ ही मैं इस स्थल पर ईश्वर के नाम के उल्लेख का इसलिये विरोध कर रहा हूं कि मेरे विचार से किसी व्यक्ति को, यदि वह चाहे तो, ईश्वरीय मार्ग का अनुसरण करने से नहीं रोका जा सकता, भले ही वह नियुक्त होते समय ईश्वर की शपथ ले या न ले।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध इसलिये हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे कार्यों को करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है जो अधार्मिक होते हैं। हम सभी को विदित है कि राजनीतिज्ञों को युद्ध छेड़ने पड़ते हैं। राजनीतिज्ञों को ऐसे उपाय अपनाने पड़ते हैं जिनसे हिंसा का रक्तपात होता है। यह एक अनर्गल सी बात होगी कि वे ईश्वर की तो शपथ लें और अवसर आने पर ऐसे कार्य करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह बिल्कुल चाहता कि तृतीय अनुसूची में ईश्वर के नाम का उल्लेख हो।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान, मेरे मित्र श्री कामत ने जो छोटा सा संशोधन उपस्थित किया है उसके समर्थन के लिये बहुत से भाषणों की अथवा बहुत से शब्दों की आवश्यकता नहीं है। सभा शपथ के प्रश्न पर विचार-विमर्श कर चुकी है और उसने यह निर्णय किया है कि ईश्वर की शपथ ली जाये। इस सभा में मेरे कुछ मित्रों ने ईश्वर की शपथ लेने का विरोध किया था क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि अकारण ईश्वर के नाम का उल्लेख न किया जाये। किन्तु उन के आपत्ति करने पर भी संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि उन लोगों को, जिनका ईश्वर में विश्वास है, उसी रूप में शपथ लेनी चाहिये जिस रूप में वे अपने प्रतिदिन के जीवन में लेते हैं और इसलिये एक संशोधन द्वारा "ईश्वर की शपथ लेता हूं" शब्द रखे गये। मूल मसौदे में "ईश्वर की शपथ लेता हूं" शब्द नहीं थे। ये शब्द सभा के निर्णय के फलस्वरूप रखे गये। उस समय शपथ का रूप यह था कि "ईश्वर की शपथ लेता हूं" शब्द रेखा के ऊपर थे और "सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं" शब्द रेखा के नीचे थे।

मुझे इसका खेद है डॉ. अम्बेडकर ने एक छोटी सी चाल चली है। मुझे वह क्षमा करें किन्तु मैं यह कहूंगा कि वह एक स्कूल के लड़के की चाल है। उन्होंने "सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं" शब्दों को रेखा के ऊपर रख दिया है और ईश्वर को रेखा के नीचे रख दिया है। यदि यह केवल चाल ही है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि स्वराज प्राप्त करने के पश्चात् लोग यह न समझने लगें कि ईश्वर नीचे चला गया है। मैं यह कहता हूं कि संविधान सभा ने एक बार शपथ के सम्बन्ध में यह निर्णय किया था कि "ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं" शब्द रेखा कि ऊपर हों और अन्य शब्द रेखा के नीचे हों। उसके लिये यह निर्णय करना स्वाभाविक ही था। "मैं स्वाभाविक ही था" शब्दों का योग इसलिये कर रहा हूं कि भारत में कुछ अनीश्वरवादियों के होते हुए भी इस समय जनसाधारण में से अधिकांश लोगों का

ईश्वर में विश्वास है। संविधान बनाने के लिये जनसाधारण में हमें इसकी स्वतंत्रता नहीं दी है कि हम जो चाहें करें। हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो लोकप्रिय हो। श्रीमान, मेरा यह निवेदन है कि यद्यपि डॉ. अम्बेडकर हमेशा सच्चाई से कार्य करते हैं, किन्तु मैं यह कहूंगा कि कभी कभी वे बड़ी चतुराई का परिचय देते हैं। वे बड़े सच्चे और स्पष्टभाषी रहे हैं। उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि चूंकि वे जनप्रतिनिधि हैं इसलिये वे कोई ऐसा कार्य न करें जो जनसाधारण को नापसंद हो। वे अपने नगण्य द्वेष के कारण ईश्वर को रेखा के नीचे क्यों रखते हैं? ईश्वर का रेखा के नीचे उल्लेख करने का अर्थ क्या हैं? ईश्वर आखिर क्यों है? श्रीमान, ईश्वर सत्य है। इसलिये ईश्वर की शपथ लेने का अर्थ यह हुआ कि सत्य की शपथ ली गई। "ईश्वर" की तुलना में "प्रतिज्ञान" एक प्रकार कार्य साधन का उत्कृष्ट नाम ही है। इसलिये स्थिति यह है कि जहां एक ओर "सत्य" है तो दूसरी ओर कार्यसाधन का उत्कृष्ट नाम। शपथ लेने की आवश्यकता ही क्या है? कहा जाता है कि जब कोई सज्जन कोई प्रतिज्ञान करता है तो यह माना जाता है कि वह सच्चाई से प्रतिज्ञान कर रहा है और उसके अनुसार कार्य करेगा? किन्तु यह भी कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिये स्वत: निर्वाचित हो जाता है तो उसे प्रतिज्ञान करने की भी क्या आवश्यकता है? उससे प्रतिज्ञान करने के लिये कहा ही क्यों जाये? यह मान लेना चाहिये कि वह सज्जन ही बना रहेगा और सदा सच्चाई से कार्य करेगा? इसलिये प्रतिज्ञान करने अथवा शपथ लेने की रस्म को पूरा करने की आवश्यकता ही क्या है? किन्तु जब हम शपथ लेने की रस्म को स्थान दे ही रहे हैं तो मैं यह चाहता हूं कि शपथ और प्रतिज्ञान में अन्तर किया जाये। जैसा कि मैं कह चुका हूं, ईश्वर सत्य है और प्रतिज्ञान कार्यसाधन का उत्कृष्ट नाम है। मैं यह चाहता हूं कि कार्यसाधन का उल्लेख रेखा के नीचे हो और सत्य का उल्लेख रेखा के ऊपर हो। मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्य इस प्रश्न को अधिक महत्व न देंगे और वास्तव में मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि इस प्रश्न का अधिक महत्व नहीं है। किन्तु डॉ. अम्बेडकर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। जब सभा पहले इस प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय कर चुकी है तो डॉ. अम्बेडकर ने एक संशोधन क्यों उपस्थित किया है? डॉ. अम्बेडकर अपने संशोधन द्वारा सारी सभा को इसके लिये वचनबद्ध कर देना चाहते हैं कि ईश्वर का रेखा के नीचे उल्लेख किया जाये। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि भारत ने ही संसार के सामने ईश्वर की कल्पना रखी। मैंने इस सभा के नेताओं को यह कहते हुए सुना है कि हिन्दी अंकों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को अपनाना चाहिये क्योंकि भारत ने ही उन्हें संसार को प्रदान किया है। मेरा यह भी निवेदन है कि जब संसार में अराजकता फैली हुई थी तो हमने उसके सामने सत्य और ईश्वर का विचार रखा। भारत ने ही इस विचार को संसार के सामने रखा है। विशेषत: जब ईश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है तो उसे रसातल को क्यों पहुंचाया जाये? ईश्वर मुख्यत: भारत का ही है। यह ईश्वर की भूमि है। इसलिए ईश्वर को ऊपर रहना चाहिए और प्रतिज्ञान को नीचे रहना चाहिए। हमें मूल मसौदे को ही स्वीकार करना चाहिए।

[श्री महाबीर त्यागी]

इसलिए मुझे आशा है कि सभा डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को स्वीकार नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में दल के अनुशासन का कोई प्रश्न नहीं है। सदस्यों को प्रतोदआज्ञाओं का भय न करना चाहिय। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को स्वीकार न करें। हमें अनीश्वरवादियों के कथनों से भ्रम न होना चाहिए। मुझे खेद है कि मुझे यह शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है किन्तु.....

***अध्यक्ष:** क्या आप यह चाहते हैं कि सभा श्री कामत के संशोधन को स्वीकार करे?

***श्री महावीर त्यागी:** मैं यह चाहता हूं कि सभा डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का विरोध करे और आरम्भ में हमने राष्ट्रपति की शपथ के सम्बन्ध में जिस मूल मसौदे को स्वीकार किया था उसी को अपनाये।

***श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): श्रीमान, मैं यह देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर ने जिस प्रपत्र का सुझाव रखा है उसके सम्बन्ध में अकारण एक तूफान खड़ा किया गया है। वास्तव में यह प्रपत्र दो प्रपत्रों के स्थान में रखा गया है। एक प्रपत्र में दो प्रपत्रों के विकल्प रखे गए हैं। कुछ लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं और कुछ लोग सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं। दो अलग अलग प्रपत्र न रखकर एक ही प्रपत्र रखा गया है। यदि मूल-मसौदे में नीचे रेखा नहीं खीची जाती और "ईश्वर की शपथ लेता हूं" और "सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं" के बीच में एक छोटी सी रेखा खींच दी जाती तो उससे भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती। इस कथन का कोई अर्थ नहीं है कि चूंकि डॉ. अम्बेडकर ने अपने संशोधन में अथवा प्रस्तावित प्रपत्र में "सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं" शब्द रेखा के ऊपर रखे हैं और "ईश्वर की शपथ लेता हूं" शब्द रेखा के नीचे रखे हैं इसलिए इनमें से एक शब्दावली का दूसरी शब्दावली से अधिक महत्व हो जाता है। ईसाई धर्म के मानने वालों के लिए जो शपथ लेते हैं और हिन्दुओं के लिए तथा अन्य लोगों के लिए जो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं, अलग-अलग प्रपत्रों को रखना पड़ा था। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है कि नियमित रूप से कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाये। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर ने जिस प्रपत्र का प्रस्ताव रखा है और श्री कामत ने जिस प्रपत्र का प्रस्ताव रखा है वे एक समान हैं। इनमें से चाहे जो भी स्वीकार किया जाये उससे कोई अन्तर न पड़ेगा।

***श्री जगत नारायण लाल** (बिहार: जनरल): श्रीमान, यदि डॉ. अम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। एक को दूसरे के ऊपर रखने का कोई अर्थ नहीं है। यह भावना का प्रश्न है। दोनों एक समान ही हैं। वे "ईश्वर की शपथ लेता हूं" शब्दों को रेखा के ऊपर

रख सकते है और "सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं" शब्दों को रेखा के नीचे रख सकते हैं ताकि इस प्रपत्र को दोनों प्रकार की भावनाओं के लोग पसंद कर सकें।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इस संशोधन को प्रस्तुत करने में मेरी यह इच्छा कभी न थी कि मैं उन सदस्यों का दिल दुखाऊं जिन्होंने मसौदे की इस कारण अलोचना की है कि ईश्वर का उल्लेख रेखा के नीचे किया गया है। श्रीमान, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने किसी एक नीति का अनुसरण नहीं किया है। उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 49 में, जिसे हम पारित कर चुके हैं, मेरे विचार से ईश्वर का उल्लेख रेखा के ऊपर किया गया है और प्रतिज्ञान का उल्लेख रेखा के नीचे किया गया है। अनुच्छेद 81 में हमने प्रतिज्ञान को पहले रखा है और शपथ को बाद को रखा है। इस अनुच्छेद में, जिसके सम्बन्ध में हमने संशोधन उपस्थित किए हैं। हमने केवल मुख्य खंड के शब्दों का अनुसरण किया है, जिसमें "प्रतिज्ञान करता हूं अथवा शपथ लेता हूं" कहा गया है। इस खण्ड की भाषा इस प्रकार की होने के कारण यह तर्कसंगत ही था कि प्रतिज्ञान को रेखा के ऊपर रखा जाता और शपथ को रेखा के नीचे रखा जाता। यह बिल्कुल तर्कसंगत है। हमने प्रतिज्ञान को पहले और शपथ को बाद को इस कारण रखा कि इस देश में जब कम से कम किसी हिन्दू से न्यायालय में गवाही देने को कहा जाता है तो वह साधारणत: प्रतिज्ञान करता है। केवल ईसाई, आंग्ल-भारतीय और मुसलमान शपथ लेते हैं। हिन्दू ईश्वर का नाम लेना पसंद नहीं करते। इसलिये मैंने यह विचार किया कि इस प्रकार के प्रश्न के सम्बन्ध में हमें बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं तथा प्रथाओं का आदर करना चाहिए और इसी कारण हमने प्रतिज्ञान और शपथ को इस क्रम से रखा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस सम्बन्ध में मेरा कोई निश्चित विचार नहीं है। मैं सभा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यदि सभा का यह विचार हो कि श्री कामत का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये, यद्यपि मेरा यह निवेदन है कि यह देश में प्रचलति प्रथा के कम से कम हिन्दुओं की प्रथा के विरुद्ध होगा तो मेरा यह सुझाव है कि इस समय मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये और मसौदा-समिति को यह स्वतंत्रता दी जाये कि वह संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों पर भी विचार करे ताकि इस दृष्टि से एकरूपता आ जाये। यह उचित न होगा कि इस स्थल पर तो संशोधन कर दिया जाये और अन्य अनुच्छेदों को उसी प्रकार छोड़ दिया जाये।

***श्री महावीर त्यागी:** व्याकरण के कारण ईश्वर के मार्ग में रुकावट न पड़नी चाहिए।

***श्री एच.वी. कामत:** अनुच्छेद 81 के सम्बन्ध में सभा के सामने कोई अनुच्छेद नहीं रखा गया था। यह कहा गया था कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रत्येक सदस्य

को तृतीय अनुसूची में उल्लिखित प्रतिज्ञान करना होगा अथवा शपथ लेनी होगी। किन्तु सभा राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्रों को स्वीकार कर चुकी है और ये प्रपत्र उन्हीं प्रपत्रों के समान हैं जिन्हें मैंने आज अपने संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया है।

*****अध्यक्षः** इस विषय पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यह होगा कि आप इस पर मत दें। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर अधिक वाद-विवाद को सकता है। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर कह चुके हैं, वे इस सम्बन्ध में कोई विशेष भावना नहीं रखते। सभा चाहे जो भी निर्णय करे, वे केवल इसकी स्वतंत्रता चाहेंगे कि सभी अनुच्छेद उसी रूप में रखे जायें। इसलिए मैं इस संशोधन पर मत लूंगा।

*****श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** डॉ. अम्बेडकर ने मेरे संशोधनों की कोई चर्चा नहीं की।

*****अध्यक्षः** यह दूसरी बात है।

*****माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** क्या "सच्चे हृदय से" शब्दों के सम्बन्ध में?

"सच्चे हृदय से" शब्दों के पश्चात् मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। केवल ये शब्द ही पर्याप्त नहीं होंगे।

*****अध्यक्षः** वे चाहते हैं कि "अनुराग" शब्द निकाल दिया जाये।

(कुछ रुकने के पश्चात्)

अच्छा मैं उस संशोधन को उठाऊंगा। प्रस्ताव यह है किः

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवा सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 से 63 तक में तृतीय अनुसूची में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र मेंः

'solemnly affirm (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)'
——————————————————— (प्रस्तावित) शब्दों
swear in the name of God (ईश्वर की शपथ लेता हूं)'

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंः–

'swear in the name of God (ईश्वर की शपथ लेता हूं)'
———————————————————
'solemnly affirm (सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं)'"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

*****अध्यक्षः** मैं यह मान लेता हूं कि सभा डॉ. अम्बेडकर को इसकी स्वतंत्रता देती है कि अन्य अनुच्छेदों में जहां कहीं ये शब्द आयें उन्हें वे इसी क्रम से रख दें।

*****माननीय सदस्यः** जी हां।

*****श्री जसपतराय कपूरः** क्या मैं यह सुझाव प्रस्तुत कर सकता हूं कि–जहां कहीं "प्रतिज्ञान अथवा शपथ शब्द लाये हैं वहां "शपथ" शब्द पहले रखा जाये। और "प्रतिज्ञान" शब्द उसके बाद रखा जाये।

यह क्रम खण्ड में भी रखा जाये।

***अध्यक्ष:** यही होगा। जहां कहीं यह पदावली प्रयुक्त हो वह एक ही क्रम से रखी जाये।

प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची (1) (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 से 63 तक में, तृतीय अनुसूची में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र में से (प्रस्तावित शब्दों में से) 'swear in the name of God (ईश्वर की शपथ लेता हूं)' शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में 'solemnly (सत्यनिष्ठा से)' शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में 'all manner of people (सब प्रकार के लोगों)' के स्थान में, 'all people (सब लोगों)' शब्द रखे जायें।"

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इस मसौदा-समिति के विचारार्थ अलग रख दिया जाये।

***अध्यक्ष:** इस पर मत लेने के लिये जोर नहीं दिया जाता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसे छोड़ दिया गया है।

प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में 'favour (पक्षपात)' शब्दों के पश्चात् अर्ध विराम तथा 'affection (अनुराग)' शब्द निकाल दिया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्रों के प्रपत्र 6 में से 'or as may be specially permitted by the Governor in the case of any matter pertaining to the functions to be exercised by him in his

discretion (अथवा राज्यपाल स्वविवेक से प्रयोक्तव्य कृत्यों से सम्बद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष अनुमति दे)' शब्द निकाल दिये जायें।"

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** मेरे विचार से अन्य संशोधनों पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन पर उसी प्रकार मत दिये जायेंगे जैसे अन्य संशोधनों के सम्बन्ध में दिये गये हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** उन्हें रस्मी तौर पर सभा के सामने रखा जाये और वे उन्हें अस्वीकार कर दे।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 57 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 2 में 'solemnly (सत्यनिष्ठा से)' शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्दों को प्रविष्ट किया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 60 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 5 में 'solemnly (सत्यनिष्ठा से)' शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्दों को प्रविष्ट किया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 60 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 5 में 'all manner of people (सब प्रकार के लोगों)' शब्दों के स्थान पर 'all people (सब लोगों)' शब्द रखे जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 60 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 5 में 'favour (पक्षपात)' शब्द के पश्चात् अर्ध विराम तथा 'affection (अनुराग)' शब्द निकाल दिया जाये।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 (पांचवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 61 के सम्बन्ध में तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 6 में, 'solemnly (सत्यनिष्ठा से)' शब्दों के पश्चात् 'and sincerely (और सच्चे हृदय से)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन गिर गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं इन सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपस्थित प्रस्ताव पर मत लेता हूं, जैसा कि वह श्री कामत के संशोधन 50 के फलस्वरूप तथा डॉ. अम्बेडकर के अपने संशोधन के फलस्वरूप संशोधित हुआ है। मेरे विचार से उन्हें अलग-अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है कि:

"तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में, संविधान का अंश बना ली जाये।"

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

तृत्तीय अनुसूची, संशोधित रूप में, संविधान का अंग बना लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब हम सभा को सोमवार के प्रात: नौ बजे तक के लिये स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् सभा सोमवार, 29 अगस्त, 1949 के नौ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

————————